राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2382/2024

पंकज सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग जयपुर।
3. खनि. अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2024
आदेश की दिनांक : 26.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं आरोप पत्र दिनांक 22.07.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती देते हुए दोनों आदेशों को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.01.2023 द्वारा खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर अराई, अजमेर किया गया था। अपीलार्थी कार्यमुक्त होना चाहता था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक 02.06.2023 को प्रत्यर्थी संख्या–2 को पत्र लिखकर अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं होना बताते हुए अपीलार्थी को कार्यमुक्ति में शिथिलता प्रदान करने का निवेदन किया गया था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.01.2023 की पालना में न तो कार्यमुक्त हो सका और न ही कार्य ग्रहण कर सका। अपीलार्थी ने यह तथ्य भी

अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को करीब एक वर्ष 6 माह बाद स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं करने पर आरोपित कर आरोप पत्र दिनांक 22.07.2024 जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के कारण वह नये स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं कर सका। प्रत्यर्थी विभाग ने ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, अजमेर में अन्य व्यक्ति को पदस्थापित कर दिया। ऐसे में अब पूर्व के आदेश दिनांक 05.01.2023 की पालना संभव नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं किये जाने का कारण यह रहा है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया, जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। वर्तमान में सांख्यिकी अधिकारी का पद भी रिक्त नहीं है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.01.2023 निरस्त किया जाए एवं अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप पत्र जारी किया गया है, उसे भी निरस्त किया जाए।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हम पाते हैं कि आदेश दिनांक 05.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा स्थानान्तरित किया गया था। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। ऐसे में हम आदेश दिनांक 05.01.2023 में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि उसको उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया। यह तथ्य अविवादित है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 05.01.2023 की तुरन्त पालना नहीं की गयी। अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने का क्या कारण रहा है, यह अपीलार्थी के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही की विषय वस्तु है, जिस पर यह अधिकरण कोई टिप्पणी देना उचित नहीं पाता है। अपीलार्थी के विरूद्ध अन्य पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करने का प्रथम दृष्टया मामला होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसे विधि विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है।

5. परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)